

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2022/

प्रार्थीगण

2021

बनाम

अप्रार्थीगण

दिनांक -

25/07/22

1 रावतसिंह पुत्र नाथूसिंह 2
दरिया कंवर पत्नी नाथूसिंह जाति
राजपूत निवासी लापलनाडी, नांद
तहसील व जिला बाड़मेर।

1 रतनसिंह पुत्र वाघसिंह जाति राजपूत 2 दादूराम पुत्र
ठाकूराम जाति मेघवाल 3 गंगासिंह पुत्र खीमसिंह 4
कुम्पसिंह पुत्र उम्मेदसिंह 5 प्रतापसिंह पुत्र खीमसिंह
जाति राजपूत 6 तेजपालसिंह पुत्र इन्द्रसिंह 7 भोमसिंह
पुत्र उम्मेदसिंह निवासी सूरा चारणान तहसील व जिला
बाड़मेर 8 तहसीलदार बाड़मेर।


प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 113/2022

दिनांक-

08/07/22

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा लापलनाडी पटवार क्षेत्र नांद तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा
संख्या 839/738 रकबा 19.18 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी
करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने
से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित
(वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी
निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे।
कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो
प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(समदरसिंह भाटी)

उपखण्ड अधिकारी,

बाड़मेर


दिनांक-

08/07/22

क्रमांक :- रीडर/2022/ 2022-25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी नांद तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. रावतसिंह पुत्र नाथूसिंह वगैराह जाति राजपूत निवासी लापलनाडी, नांद तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी रतनसिंह पुत्र वाघसिंह वगैराह जाति राजपूत निवासी सूरा चारणान तहसील व जिला बाड़मेर।



उपखण्ड अधिकारी,

बाड़मेर